(100)

APP A
crim-I

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ.
रामनाथ जिला बून्दी (राज.) मुकेश
दमा 56/फा/22 मन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/4/22	बाद पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act द्वारा वकील श्री राजेन्द्र नागर पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट [illegible] पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/[illegible] हेतु तलब किया जाकर दि० 5.5.22 को पेश हो	
5/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। [illegible] पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ [illegible]/अन्य राजकार्य में व्यस्त रखते है। पत्रावली दि 25/8/22 को पेश हो	
25/8/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप है। मूलवाद विड्रो हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नही रही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:35:55 IST
Reason: SelfAttested